UPET010095182016

# न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, एटा।

**उपस्थितः मनीषा - 'एच०जे०एस०', J.O. CODE UP6137**

**सत्र परीक्षण संख्या- 580/2016**

राज्य **बनाम** रामसरन

मु०अं०सं०- 40/2010
धारा- 302 भा०दं०सं०,
थाना- जैथरा, जिला एटा।

**17.03.2026**

पत्रावली प्रस्तुत हुयी,

सहायक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते तामील कुनिंदा नियत है।

तामील कुलिन्दा उ०नि० ओमप्रकाश सिंह न्यायालय में उपस्थित आये, उनका बयान अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया कि "न्यायालय से जारी गिरफ्तारी के अधिपत्र की तामीला मुझ उपनिरीक्षक द्वारा अभियुक्त रामसरन पुत्र जगराम निवासी मिलकिया थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद की गई तथा जब मैं उपनिरीक्षक अभियुक्त के गाँव पहुँचा तो वहाँ गाँव वालों ने बताया कि अभियुक्त रामसरन लगभग 10 वर्ष पूर्व अपनी चल-अचल संपत्ति बेचकर कहीं चला गया है तथा ग्राम प्रधान आरती देवी ने एक हस्तलिखित तहरीर दी जिसके अनुसार अभियुक्त रामसरन लगभग 10 वर्ष पूर्व अपनी चल-अचल संपत्ति बेचकर कर कहीं चला गया है तथा उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अतः गाँव वालों व ग्राम प्रधान द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर स्पष्ट है कि अभियुक्त 10 वर्ष पूर्व अपनी चल-अचल संपत्ति बेचकर कहीं चला गया है। ग्राम प्रधान की हस्तलिखित तहरीर की छायाप्रति जो कि Whatsapp द्वारा मंगाई गई थी पत्रावली पर पूर्व में दाखिल की जा चुकी है। यही मेरा बयान है।"

चूँकि अभियुक्त 10 वर्षं पूर्व 10 वर्ष पूर्व अपनी चल-अचल संपत्ति बेचकर कर कहीं चला गया है तथा उसका कोई पता ठिकाना। गाँववालों को उसके व उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः पत्रावली में कार्यवाही धारा- 299 द०प्र०सं० में ही अग्रसारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अंतर्गत धारा- 299 द०प्र०सं० दिनांक 22.04.2026 को प्रस्तुत हो।

**( मनीषा )**

**दिनांकः 17.03.2026**

विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01,
एटा।